

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :-

सं० सं०-17/ए 1-01/2009(खण्ड)

/स्वा०, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के

शिशु रोग विभाग में कार्यरत उत्कृष्टित प्राध्यापक/सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर (वेतनमान 37,400-67,000 ग्रेड पे० 8700 रु० प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-13 में) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-106 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत नियमित प्रोन्नति निम्नवत् दी जाती है :-

क्र० सं०	चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	डा० ए० के० जयसवाल, उत्कृष्टित प्राध्यापक	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
2	डा० (श्रीमती) नीलम वर्मा, सह-प्राध्यापक	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
3	डा० गोपाल शरण, सह-प्राध्यापक	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
4	डा० अरविन्द कुमार, सह-प्राध्यापक	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
5	डा० राम कुमार हिमांशु, सह-प्राध्यापक	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
6	डा० विनोद कुमार सिंह, सह-प्राध्यापक	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
7	डा० कृपानाथ मिश्र, सह-प्राध्यापक	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।
8	डा० (श्रीमती) अलका सिंह, सह-प्राध्यापक	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से।

2. प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
3. क्रम संख्या वरीयता का द्योतक नहीं है।
4. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017(एस०एल०पी०सी०) संख्या-29770/2015 से उद्भूत) बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल०पी०ए० संख्या-173/2018, राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-01/2009(खण्ड)

/स्वा० पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-01/2009(खण्ड)

/स्वा० पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-01/2009(खण्ड) - 336

(17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 26/5/18

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक/माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव(डा० कौशल किशोर) के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 17 एवं 18ए/ आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26/5/18
सरकार के अवर सचिव।
WC